



श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान



डॉ. बुलाकी दास कल्ला
शिक्षा मंत्री, राजस्थान



श्रीमती जाहिदा खान
शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान

National Means Cum-Merit Scholarship

N.M.M.S. –2023

राजस्थान में
कुल 5471 विद्यार्थियों को
NNMS परीक्षा योजना के अन्तर्गत
12,000 रु प्रतिवर्ष की दर से
चार वर्ष तक छात्रवृत्ति
दी जाती है।



सत्यमेव जयते
Ministry of Education
Government of India



**NMMS एक
केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति
योजना है।**

नवीन संशोधित पात्रता एवं मापदंड -

- कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से 55% प्राप्तांक सहित स्पष्ट उत्तीर्ण व कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी।
- अभिभावक/माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रवृत्ति की निरन्तरता हेतु कक्षा 9 वीं से 10 वीं तथा कक्षा 11 वीं से 12वीं में स्पष्ट उत्तीर्ण तथा कक्षा 10 में न्यूनतम 60% प्राप्तांक होने चाहिए (एस सी व एस.टी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट)
- जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल व निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र पात्र नहीं होंगे।

NMMS योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश-

- छात्रवृत्ति में चयन होने के बाद कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर आवेदन करें तथा कक्षा 9 उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 10, 11 व 12 में NSP पर नवीनीकरण कराना होता है।
- विद्यार्थी के आधार कार्ड, शालादर्पण रिकार्ड और बैंक डिटेल् में कोई मिस मैच नहीं होना चाहिए।
- एक बार अनुत्तीर्ण होने पर या रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण और वेरिफिकेशन नहीं करने पर उत्तरोत्तर वर्षों में अपात्र माना जाएगा। हर वर्ष रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है।
- विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण करने के बाद विद्यालय स्तर और जिला स्तर पर वेरिफिकेशन निर्धारित तिथि में पूरा करना होता है।

NSP Workflow

Student
Student Registration
and Application
Submission

INO
Level 1 Verification
of Application at
School Level

DNO
Level 2 Verification of
Application at
District Level

MoE
Beneficiary
Records
Creation and
Account
Validation
by PFMS

MoE
Scholarship
Disbursement
through DBT

MoE
Payment File
Generation and
Financial Approval

MoE
Applications
Deduplication and
Merit List Generation

प्रायोजक

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार

आयोजक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

वित्तीय सहयोग

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर